

भारत सरकार Government of India
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र Bhabha Atomic Research Centre
कार्मिक प्रभाग Personnel Division

विज्ञापन संख्या ADVERTISEMENT NO. आर ई (ड्राइवर) RE (Drivers)-02/2024-25
(अपेक्षित पदों की कुल संख्या Total No. of requirements- 43)

सं.Ref:/पीडी PD/41(1)/2024-भर्ती R-III/ खंड Vol-II/ 689

मई May 22, 2025

भापअ केंद्र, मुंबई एवं इसकी बाहरी इकाइयों में ड्राइविंग कार्यों का निष्पादन करने के लिए पऊवि/ इसकी संघटक इकाइयों से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त ड्राइवर संवर्ग के कार्मिकों का पुनः नियोजन

Re-engagement of Driver Cadre Personnel Retired on Superannuation from DAE/ its Constituent Units for performing Driving duties in BARC, Mumbai and it's Outstation Units.

(केवल परमाणु ऊर्जा विभाग/इसकी संघटक इकाइयों के ड्राइवर संवर्ग से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं)

(Only employees retired on superannuation from Driver Cadre of Department of Atomic Energy/ its Constituent Units are eligible to apply)

1. कार्य-क्षेत्र (अनुलग्नक-I) में यथादर्शा अनुसार भापअ केंद्र, मुंबई एवं इसकी बाहरी इकाइयों में ड्राइविंग कार्यों का निष्पादन करने के लिए पऊवि/इसकी संघटक इकाइयों से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए ड्राइवर संवर्ग के कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

Applications are invited from Driver Cadre Personnel retired on superannuation from DAE/ its Constituent Units for performing Driving duties in BARC, Mumbai and it's Outstation Units as indicated in Scope of Work (Annexure-I).

2. संलग्न 'कार्य-क्षेत्र' में दर्शाए गए कार्य को करने के इच्छुक, ड्राइवर संवर्ग के सेवानिवृत्त कार्मिक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- II) में अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

Retired personnel of Driver Cadre who are willing to perform the work indicated in the enclosed 'Scope of Work' can submit their applications in the prescribed format (Annexure-II) along with their recent passport sized photograph duly affixed and a copy of the Pension Payment Order.

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके पुनः नियोजन के संबंध में सूचना दी जाएगी।

The applications received will be scrutinized by the Competent Authority and the selected candidates will be communicated regarding their re-engagement.

4. पात्रता Eligibility:

4.1 आवेदक पञ्चवि/इसकी संघटक इकाइयों के ड्राइवर संवर्ग से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुआ होना चाहिए और आयु 65 (पैंसठ) वर्ष से कम होनी चाहिए। जो कर्मचारी 30.09.2025 तक अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

Applicant should have retired on superannuation from Driver Cadre of DAE/ its Constituent Units and should be below the age of 65 (Sixty Five) years. Those who are retiring on superannuation up to 30.09.2025 are also eligible to apply.

4.2 आवेदक जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मामले विचाराधीन/लंबित हैं या जिन्हें पिछले 10 (दस) वर्षों की अवधि के दौरान कदाचार के लिए दंडित किया गया है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन कर्मचारियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है या किसी भी अदालत में कोई मामला दर्ज किया गया है, वे भी पुनः नियोजन होने के पात्र नहीं होंगे।

Applicant against whom departmental proceedings or criminal cases are contemplated/ pending or who have been penalized for misconduct during the period of preceding 10 years will not be eligible for consideration. Further officials against whom any FIR is lodged or any case is registered in any court of law will also not be eligible for re-engagement.

4.3 आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और भारी मोटर वाहन (एचएमवी) दोनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस पुनः नियोजन की पूरी अवधि के दौरान वैध होना चाहिए। एलएमवी और एचएमवी दोनों की ड्राइविंग के लिए वैध लाइसेंस की एक स्व-सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाए, जिसमें विफल रहने पर पुनः नियोजन हेतु आवेदक पर विचार नहीं किया जाएगा।

Applicant should possess a valid driving licence for both Light Motor Vehicle (LMV) and Heavy Motor Vehicle (HMV) issued by the Competent Authority. Licence should be valid throughout the currency of re-engagement. A self-attested copy of Licence valid for driving both LMV and HMV should be enclosed with the application, failing which the applicant will not be considered for re-engagement.

4.4 आवेदक ड्राइवर के कार्यों का निष्पादन करने के लिए स्वस्थ होना चाहिए और उसे पुनः नियोजन के समय इस आशय का शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, कार्यकाल के दौरान विभाग के विवेक पर आवधिक चिकित्सा जांच करवाई जाएगी और यदि यह पाया जाता है कि पुनः नियोजित ड्राइवर, ड्राइवर के कार्यों को निष्पादित करने के लिए अयोग्य है, तो उसका पुनः नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। Applicant should be medically fit to perform the duties of the Driver and is required to submit Medical Fitness Certificate to this effect, at the time of re-engagement. Further, Periodic medical check-ups during the tenure will be carried out at the discretion of the Department and in case, it is found that the re-engaged Driver is unfit to perform the duties of the Driver, his re-engagement shall be terminated with immediate effect.

4.5 नियुक्ति की अवधि शुरूआत में, सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे पञ्चवि के पूर्व अनुमोदन से (रिक्ति की उपलब्धता के अधीन) एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगले विस्तार की अनुमति कार्यों की समीक्षा और पुनः नियोजित व्यक्ति के कार्य निष्पादन के आधार पर दी जा सकती है बशर्ते कि इसे अधिवर्षिता के बाद 05 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

The term of appointment shall ordinarily be for an initial period not exceeding one year which is extendable by another one year (subject to availability of vacancy) with the prior approval of DAE. Further extension may be granted based on a review of the task and the performance of the re-engaged appointee, provided it shall not be extended beyond 5 years after superannuation.

4.6 पुनः नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर होगा। पुनः नियोजन को भापअ केंद्र द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

The re-engagement shall be purely on contract basis. Re-engagement can be terminated at any time by BARC without assigning any reasons thereof.

5. हकदारी Entitlement:

5.1 पुनः नियोजित कार्मिक को उसके अंतिम वेतन के @50% की दर से एक निश्चित मासिक पारिश्रमिक ग्राह्य होगा। उस पर कोई महंगाई भत्ता/महंगाई राहत लागू नहीं होगा।

A fixed monthly remuneration @ 50% of the Last Pay drawn shall be admissible to the re-engaged personnel. No DA/DR will be applicable thereon.

5.2 सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन के हिसाब से सवेतन छुट्टी अनुपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। एक कैलेंडर वर्ष से आगे छुट्टी संचय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Paid leave absence @1.5 days for each completed month of service will be allowed. Accumulation of leave beyond the calendar year will not be allowed.

5.3 सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त परिवहन भत्ते के 50% की दर से परिवहन भत्ते की एक निश्चित राशि ग्राह्य होगी। उस पर कोई महंगाई भत्ता/महंगाई राहत लागू नहीं होगा।

A fixed amount towards Transport Allowance @ 50% of the Transport Allowance drawn at the time of retirement shall be admissible. No DA/DR will be applicable thereon.

5.4 पुनः नियोजन की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता ग्राह्य नहीं होगा।

No Increment, Dearness Allowance and HRA shall be admissible during the term of re-engagement.

5.5 ड्राइवर के रूप में पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार, आधिकारिक दौरे पर टीए/डीए, यदि कोई हो, की अनुमति दी जा सकती है।

Retired personnel re-engaged as Drivers may be allowed TA/DA on official tour, if any, as per their entitlement at the time of retirement.

5.6 पुनः नियोजित व्यक्ति, पुनः नियोजन की अवधि के लिए जीपीएफ, उपदान आदि के लिए अंशदान करने का हकदार नहीं होगा।

Re-engaged person will not be entitled to contribute to GPF, gratuity etc. for the period of re-engagement.

6. कार्यस्थल, कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे गये अनुसार भापअ केंद्र, मुंबई एवं इसकी बाहरी इकाइयां होंगी। अंतिम तैनाती स्थल भापअ केंद्र अथवा इसकी बाहरी इकाई होने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

The place of work will be BARC, Mumbai and it's Outstation Units as considered necessary to meet functional needs. The final place of posting in BARC or it's Outstation Units will be decided by the Competent Authority.

7. पुनः नियोजित कार्मिकों को समय-समय पर उन्हें सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना अपेक्षित होगा।
The re-engaged personnel will be required to perform the duties assigned to them, from time to time.
8. भाषा केंद्र के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
BARC reserves the right to reject any application without assigning any reasons thereof. No representation in this regard will be entertained.
9. आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि 09.06.2025 है। अपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
Last date for receipt of applications is 09.06.2025. Incomplete and late applications will not be considered.
10. आवेदन पत्र सीलबंद लिफाफे में डाक द्वारा/व्यक्तिगत रूप से निम्नवत को अग्रेषित किए जाएंगे:
The applications shall be forwarded by post/ by hand in sealed cover to:

निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) Director (Personnel and Administration)
सेंट्रल कॉम्प्लेक्स Central Complex,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र Bhabha Atomic Research Centre
ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085 Trombay, Mumbai-400 085.



(श्रीराम एस. Sriram S.)

निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) Director (P&A)
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र Bhabha Atomic Research Centre

अनुलग्नक- I: कार्य-क्षेत्र Annexure-I : Scope of Work

अनुलग्नक-II: आवेदन का प्रारूप Annexure-II : Format of Application

अनुलग्नक Annexure- I

कार्य-क्षेत्र Scope of Work

1. पुनः नियोजित कार्मिकों को हल्के और भारी दोनों प्रकार के वाहनों पर ड्राइविंग ड्यूटी निष्पादित करना अपेक्षित है। उन्हें मोटर ड्राइविंग, मोटर मैकेनिक्स और यातायात नियमों एवं विनियमों का ज्ञान होना चाहिए।

The re-engaged personnel are required to perform driving duties on both Light as well as Heavy Vehicles. They should have knowledge of Motor Driving, Motor Mechanics and Traffic Rules & Regulations.

2. वाहन का सामान्य दैनिक रख-रखाव ।
General day to day maintenance of the vehicle.
3. वाहन के टायर, बैटरी का रख-रखाव और लूब्रिकेशन ।
Tyre, battery maintenance and lubrication of vehicle.
4. एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच पेडल और फैन बेल्ट समायोजन।
Accelerator, brake, clutch pedal and fan belt adjustment.
5. एयर लॉक और ऑयल ब्लॉक को हटाना। Removal of air lock and oil block.
6. इंजन ट्यून अप, ब्रेक एडजस्टमेंट, व्हील अलाइनमेंट और डैशबोर्ड मीटर का प्रेक्षण।
Engine tune up, break adjustment, wheel alignment and observation of dashboard meters.
7. अंग्रेजी/हिन्दी में नेमी फॉर्म/लॉग बुक पढ़ने और भरने की क्षमता होनी चाहिए।
Ability to read and fill up routine forms/ Log Books in English/ Hindi.
8. उन्हें वाहनों के छोटे-मोटे मरम्मत कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए।
They should be able to attend minor repair works of the vehicles.

उपर्युक्त सूची संपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, तात्कालिक आवश्यकतानुसार जब कभी भी अन्य कार्य अपेक्षित हो तो, रिपोर्टिंग अधिकारी के यथा निदेशित कार्यों का निर्वहन करना अपेक्षित है।

The above list is in-exhaustive. In addition, they are expected to do other works as and when required in exigencies as directed by the Reporting Officer.

अनुलग्नक Annexure-II

भापअ केंद्र, मुंबई एवं इसकी बाहरी इकाइयों में सेवानिवृत्त ड्राइवर
संवर्ग कार्मिक के पुनः नियोजन हेतु आवेदन
Application for re-engagement of Retired Driver Cadre
Personnel in BARC, Mumbai and it's Outstation Units.

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम फोटो
चिपकाएं Affix
recent passport
size photograph

विज्ञापन संख्या Advertisement No. आर ई (ड्राइवर) RE (Drivers)-02/2024-25

1.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) Full Name (in Block Letters)					
2.	पिता/पति का नाम Father's/ Husband's Name					
3.	जन्म तिथि Date of Birth					
4.	संपर्क विवरण Contact details	टेलीफोन नं. Tel No.				
		मोबाइल नं. Mobile No.				
		ई-मेल आईडी Email ID				
5.	पत्राचार के लिए पता Address for communication					
		पिन Pin				
6.	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि Date of joining in Government Service					
7.	वर्तमान आयु Age as on date					
8.	क्या अजा/अजजा/अपिव है ? Whether SC/ST/OBC					
9.	क्या शारीरिक रूप से विकलांग है ? Whether Physically handicapped					
10.	सेवानिवृत्ति की तिथि और सेवानिवृत्ति के समय धारित पद(सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति संलग्न करें) Date of retirement and the post from which retired (enclose copy of retirement order)					
11.	उस प्रभाग/इकाई का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुए Name of the Division/ Unit from which retired					
12.	अंतिम आहरित वेतन (पीपीओ प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए) Last pay drawn (PPO Copy is mandatorily to be enclosed)					
13.	शिक्षा/तकनीकी योग्यता (कृपया प्रमाणपत्र/अंकसूची/ ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति संलग्न करें) Education/ Technical qualification (Please enclose copy of Certificate/ Mark Sheet/Driving License)					
14.	पीपीओ सं. (कृपया प्रति संलग्न करें) PPO No. (Please enclose copy)					

